

## न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्मूल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा- सपोटरा जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन - प्रार्थी

बनाम

गंगाधर पुत्र विशन्या जाति बैरवा, निवासी डंगरिया, तहसील सपोटरा जिला करौली - अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत

निर्णय

दिनांक-27.03.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तत्पश्चात् बहस सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सुनी गयी।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी गंगाधर पुत्र विशन्या जाति बैरवा, निवासी डंगरिया, तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा सपोटरा से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 280000/-रुपये, ब्याज 422364/-रुपये, द0ब्याज 28791/-रुपये कुल राशि 753853/- रुपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 280000/-रुपये, ब्याज 555549/-रुपये द0ब्याज 63072/-रुपये, बीमा 22698/-रुपये, वसूली व्यय 380/-रुपये, नीलामी व्यय 46085/- रुपये सहित कुल राशि 967784/-रुपये की अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अप्रार्थी फौत हो गया है। उसके कायम मुकाम, उसके पुत्र हल्के, पुत्री मोहरबाई, पुत्र होरीलाल(फौत) के पुत्र लखपत, महेश, पुत्र होरीलाल(फौत) की पुत्रियां अंगूरी, लखनबाई एवं पुत्र होरीलाल(फौत) की देवा नरसी को भी वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये थे, किन्तु उन्होंने भी राशि जमा नहीं करायी। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी

निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की बैंक में


जिला कलक्टर  
करौली

बंदकित सम्पत्ति आराजी खसरा नं. 245/45 रकबा 12 बीघा 10 विस्वा हिस्सा संपूर्ण भाग बाके ग्राम भैरोपुरा, पटवार हल्का नानपुर, तहसील सपोटरा जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 28.06.2014, 19.01.2016 एवं 23.01.2017 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थी की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंका की है। यह खाता राज्य सरकार द्वारा की गई ऋण माफी योजना 2019 के अंतर्गत दायरे में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा-सपोटरा के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने कथन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा की बकाया ऋण राशि असल 280000/-रुपये, ब्याज 422364/- रुपये, द0ब्याज 28791/- रुपये कुल राशि 753853-रुपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 280000/-रुपये, ब्याज 555549/-रुपये द0ब्याज 63072/-रुपये, बीमा 22698/-रुपये, वसूली व्यय 380/-रुपये, नीलामी व्यय 46085/- रुपये सहित कुल राशि 967784/-रुपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी की बैंक में बंदकित भूमि आराजी खसरा नं. 245/45 रकबा 12 बीघा 10 विस्वा हिस्सा संपूर्ण भाग बाके ग्राम भैरोपुरा, पटवार हल्का नानपुर, तहसील सपोटरा जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी गई भूमि आराजी खसरा नं. 245/45 रकबा 12 बीघा 10 विस्वा हिस्सा संपूर्ण भाग बाके ग्राम भैरोपुरा, पटवार हल्का नानपुर, तहसील सपोटरा जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा सपोटरा के पक्ष में अंतरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार सपोटरा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने हेतु एवं प्रार्थी को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(नन्नूमल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर  
करौली